आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अख़बार

# दैनिक भास्कर

कुल पेज 40 | बिहार | मूल्य ₹ 4.00

पटना, रविवार, 6 अगस्त, 2017 | श्रावण शुक्ल पक्ष-14, 2074

**सुविधा** | प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं कारोबारी, टैक्स चार्ट भी मिलेगा

## जीएसटी का एचएसएन कोड अब आपके स्मार्ट फोन पर

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

व्यवसायियों के एचएसएन कोड और टैक्स की दरों की समस्याओं का समाधान अब उनके स्मार्ट फोन पर उपलब्ध होगा। कारोबारियों हो रही परेशानियों को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने प्ले स्टोर के जरिए एचएसएन कोड और कर चार्ट डाउनलोड करने की सुविधा दी है। जिन व्यवसायियों के पास स्मार्ट फोन है वे इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। टैक्स कंसल्टेंट उमाशंकर मिश्र ने बताया कि प्ले स्टोर के जरिए यह सुविधा मिल जाने से अब टैक्स का चार्ट और एचएसएन कोड खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था देश में लागू हुए एक महीने से अधिक हो गया है, लेकिन कारोबारी वर्ग की भ्रांतियां अभी तक दूर नहीं हो सकी हैं। कई उत्पादों को लेकर अब तक टैक्स की दर ही स्पष्ट नहीं हो सकी है। वहीं कई उत्पादों के अब तक एचएसएन कोड साफ नहीं हुए हैं। जीएसटी को लेकर अब ताला, हार्डवेयर, आर्टवेयर के बाद नई समस्या मेडिकल उपकरण बनाने वाले कारोबारियों के सामने आ रही है। अब तक इन उत्पादों पर पांच प्रतिशत टैक्स था। जो जीएसटी में 0 से 28 प्रतिशत कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या कारोबारियों के सामने इन उपकरणों के एचएसएन कोड को लेकर है।

### क्या है एचएसएन कोड

एचएसएन कोड यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नामेनक्लचर का उपयोग आयात-निर्यात किया जाता है ताकि वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में कोई परेशानी नहीं हो। इसका उपयोग आयात-निर्यात में किया जाता है। लेकिन जीएसटी में वस्तुओं के नामकरण में एकरूपता आने के लिए अक्षरशः लागू कर दिया गया है।

जीएसटी भवन में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह व अन्य।

**व्यवसायी व उपभोक्ता दोनों को मिलेगा लाभ**

## उद्योग मंत्री बोले- जीएसटी से स्टार्ट अप व उद्यमियों को मिलेगा बढ़ावा

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि जीएसटी लागू होने से स्टार्ट अप और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। नए उद्यमियों को भी जीएसटी का लाभ मिलेगा। बिहार जैसे राज्यों को जीएसटी से सर्वाधिक फायदा होने वाला है। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्ट अप और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उद्योग मंत्री शनिवार को जीएसटी कार्यालय में बिहार उद्यमी संघ द्वारा आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। सरकार भी सुधार के लिए लगातार काम कर रही है ताकि देश-दुनिया में बिहार एक एक अलग छवि बने। वहीं सीजीएसटी के बिहार-झारखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सीजीएसटी कमिश्नर एसएन सिंह ने कहा कि जीएसटी एक पूर्ण पारदर्शी कर व्यवस्था है। इसका लाभ व्यवसायी और उपभोक्ता दोनों को मिलेगा। जीएसटी के तहत कर पर कर की प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। बीईए के अध्यक्ष कौशलेंद्र ने कहा कि नए उद्यमियों को जीएसटी के तहत खुद को पंजीकृत करवा लेना चाहिए ताकि भविष्य में वे इसका लाभ उठा सके और कोई परेशानी भी नहीं हो। बीआई के महासचिव अभिषेक ने लोगों को जीएसटी के बारे में जानकारी दी।